न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 17.07.2023

अपील संख्या 2023 / 116

उनवान

1— रामकन्या पत्नि किशनलाल जाति भील आयु 80 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी झालावाड तहसील, झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
2— जगन्नाथ पुत्र किशनलाल जाति भील आयु 52 वर्ष, निवासी संजय कॉलोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
3— मनीष पुत्र राधेश्याम जाति भील आयु 25 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड, राज0
4— चन्दा पुत्री स्व० राधेश्याम जाति भील आयु 27 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
5— जया पुत्री स्व० राधेश्याम जाति भील आयु 23 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज0

बनाम

1— श्रीमति भूलीबाई बैवा मदनलाल जाति कहार आयु 73 वर्ष
2— कमलाबाई पुत्री मदनलाल आयु 58 वर्ष जाति कहार
3— जगनबाई पुत्री मदनलाल आयु 56 वर्ष जाति कहार
4— रतनबाई पुत्री मदनलाल आयु 54 वर्ष जाति कहार
5— गुड्डीबाई पुत्री मदनलाल आयु 52 वर्ष जाति कहार
6— ओम प्रकाश पुत्र मदनलाल आयु 50 वर्ष जाति कहार
7— बहादुर पुत्र मदनलाल आयु 47 वर्ष जाति कहार
8— सुशीला पुत्री मदनलाल आयु 44 वर्ष जाति कहार
9— रवि कुमार पुत्र मदनलाल आयु 40 वर्ष जाति कहार
10— मंजू पुत्री मदनलाल आयु 40 वर्ष जाति कहार निवासीगण झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
11— ओम प्रकाश पुत्र दुलीचंद जाति ब्राहमण निवासी झालावाड
12— रमेश कुंवर पत्नि कल्याण सिंह जाति राजपूत, निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
13— ब्रजेन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण
14— अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल रहमान चौधरी जाति मुसलमान निवासी खण्डिया झालरापाटन रोड–,झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
15— विपिन जैन पुत्र महावीर जैन निवासी झालरापाटन तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
16— सोनम मंगल पुत्र राहुल [illegible] जाति महाजन निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
17— कमलाबाई पुत्री हीरालाल जाति भील आयु 64 वर्ष पत्नि देवीलाल निवासी दुर्गपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
18— राधाबाई बैवा बाबू जाति भील निवासी झालावाड हाल
19— सुरेश पुत्र बाबू जाति भील आयु 26 वर्ष निवासी झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20– प्रेमचंद पुत्र बाबू जाति भील आयु 23 वर्ष निवासी झालावाड
21– सुनिता पुत्री बाबू जाति भील आयु 30 वर्ष निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान
22– मंजू पुत्री बाबू जाति भील आयु 20 वर्ष निवासी झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
23– हेमा पुत्री बाबू जाति भील आयु 32 वर्ष निवासी झालावाड
24– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड
25– कस्तुरबाई बैवा हीरालाल जाति भील निवाती झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान
26– गीताबाई पुत्री हीरालाल पत्नि धनश्याम आयु 58 वर्ष जाति भील निवासी झिरनिया तहतील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान

...रेस्पोडेण्टस

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अभितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 15 व 16 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 26.06.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 487/प्रार्थना पत्र/2022 निर्णय दिनांक 03.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट कम 1 लगायत 5 एवं रेस्पोडेंट नं. 25 व 26 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुढा तहसील झालरापाटन की खसरा नं. 27 रकबा 01 बीघा, खसरा नं. 28 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 30 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व इस आराजी के साबिक खसरा नं. 10/48, रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 10/8 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं. 10/57 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 09 बिस्वा भूमि थी जो सेटलमेंट से पूर्व गोरधन लाल पुत्र खुमान भील निवासी झालावाड के खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.11.2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थीगण अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलान्टस (प्रार्थीगण) की ओर से प्रस्तुत वाद ग्राम गुढा, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड मे स्थित हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 28 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 30 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 04 की 04 बीघा 02 बिस्वा भूमि है जिसका साबिक खसरा नं0 10/48 रकबा 01 बिस्वा, खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 10/8 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 10/57 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 03 की 06 बीघा 09 बिस्वा भूमि है। जो सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि गोरधन पुत्र खुमान भील निवासी झालावाड के खाते दर्ज थी, सेटलमेन्ट से पूर्व गोरधन जी की मृत्यु हो जाने से गलत तरीके से मदनलाल कहार ने अपने खाते दर्ज करा ली । जो सेटलमेन्ट अधिकारियो से मिलकर अपने खाते दर्ज कराली, सेटलमेन्ट अधिकारियों ने भी पता नहीं किस प्रकार से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार को रिकार्ड मे अवैधानिक तरीके से मदनलाल कहार को हस्तान्तरित कर दिये जो कानून की दृष्टि मे तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध किया गया एवं एक अवैधानिक कृत्य था और है जो कानूनी दृष्टि से शून्य है। इसलिये अपीलान्टस (वादीगण) ने इस अवैधानिक प्रविष्टि को हटाकर रिकार्ड में दुरुस्ती के लिये तथा अपीलांट्स (वादीगण) गोरधन के जायज वारिसान होने से खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट (प्रतिवादी) के विरुद्ध जारी कर वादीयान में भूमि का विधि सम्मत बंटवारा किये जाने के लिये वाद पेश किया था और उसके साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमे अपीलन्टस प्रार्थीगण गोरधन के जायज वारिस होने से विवादित पुश्तैनी भूमि के प्रथम दृष्ट्या हकदार होने एवं अपनी पुश्तैनी भूमि को रेस्पो0 (अप्रार्थीगण) द्वारा अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर खुर्द, बुर्द करने से रोकने के लिए तथा उनके कृत्य से भविष्य में होने वाली अपरिमित क्षति से रोका जा सके। प्रथम दृष्टिया प्रकरण अपीलान्ट्स प्रार्थीगण के हक में मानते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने गंभीरता से रिकार्ड एवं कानूनी पक्ष को देखकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पोडेंट क्रम 15 व 16 को पाबन्द किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने बिना आधोपान्त अध्ययन, मनन एवं विवेचन के फौरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है।

मदनलाल कहार द्वारा दिनांक 27.07.89 को इसी विवादित भूमि से सम्बन्धित एक वाद उपखण्ड अधिकारी झालावाड के न्यायालय में धारा 188–183 राज०टी० एक्ट के तहत मदनलाल कहार मृतक द्वारा गोरधन के पुत्र हीरालाल के विरुद्ध पेश किया गया, जिसमें मदनलाल ने यह माना कि हीरालाल का भूमि पर कब्जा है उसे बेदखल किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने दिनांक 01–04–1992 को वादी मदनलाल कहार का दावा तनकीवार विवेचन कर खारिज कर दिया, जिसने बन्दोबस्त द्वारा किये गये इन्द्राज को शून्य–अवैध माना है और हीरालाल जो गोरधन के छोटे पुत्र थे उनका भूमि पर कब्जा मानते हुऐ इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी माना है। इस निर्णय के विरुद्ध फिर मदनलाल कहार वादी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसकी अपील संख्या 106/93 है। जिसका निर्णय 11–09–1998 को हुआ। माननीय न्यायालय ने सम्पूर्ण दस्तावेज पत्रावली पर आई साक्ष्य व कानूनी प्रावधानो को गहनता से विचार कर यह अवधारित किया कि सेटलमेन्ट विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि जमाबन्दी मे पूर्ववर्ती इन्द्राजो की अभिलेख में पूर्नरावृति की जावे जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट के खातेदारी अधिकारो के परिवर्तन के बारे में सम्यक आदेश नही पारित कर दिया गया हो"।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस माननीय अदालत ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 का भी विवेचन करते हुऐ यह माना कि खातेदारी इन्द्राजात विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। फलस्वरूप विवादित आराजी का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार नही माना जा सकता है। जब न्यायालय हाजा ने ही मदनलाल कहार (मृतक) को खातेदार कृषक/ काश्तकार नही माना तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 01–04–1992 को अपने निर्णय दिनांक 11–09–1998 में यथावत रखा। इन दोनो निर्णयों के विरुद्ध किसी उच्च अदालत का कोई निर्णय नही होने से यह निर्णय अन्तिम हो गये। इन दोनो निर्णयो की तथ्यों सहित वाद व प्रार्थना पत्र में विस्तृत रूप से अंकन है तथा पत्रावली पर दोनो निर्णयों की सर्टिफाइड प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हुई है। जो पत्रावली के रिकार्ड पर उपलब्ध है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध इन दस्तावेजों को दस्तावेज नहीं मानते हुऐ दिनांक 03–11–2022 को आदेश में यह अंकित किया कि – "प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से प्रश्नगत आराजी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन सवर्ण के खाते दर्ज करवा दी हो।" जबकि अदालत हाजा ने अपील मे तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे सेटलमेन्ट के इन्द्राजात को शून्य व अवैधानिक माना व मदनलाल कहार मृतक को विधिक खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता निश्चित कर दिया फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जान बूझकर इन तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र मनमाने तरीके से खारिज किया जो न्याय नियमो के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है

अपील के चरण कम 4 में वर्णित विवादित भूमि की अपील संख्या 106/93 है जिसका निर्णय दिनांक 11.09.1998 को हुआ जिसमे रेस्पो0 क्रमांक 1 लगायत 10 जो कि मृतक मदनलाल कहार के वारिसान होने से इन्होने अपील खारिज होने के तुरन्त बाद बदयान्ती पूर्व खुर्द, बुर्द करना प्रारंभ कर दिया और रेस्पोडेंट कम 11 को और उसके बाद निरन्तर रेस्पो0 नं0 12, 13, 14 को भूमि हस्तान्तरण यह जानते हुऐ की न्यायालय के निर्णय के बाद यह जानते हुऐ भी कि कानूनी रूप से खातेदार नहीं माने जा सकते है के उपरान्त भी जान बूझकर तुरंत फुर्रत जमीन को हस्तान्तरित करते रहे फिर उसके बाद जैसे ही भूमि के खारीदारो को पता चला कि यह भूमि अनुसूचित जनजाति के खातेदार के खाते से गलत तरीके से मदनलाल सवर्ण के खाते दर्ज हो गयी थी जो कभी भी वापस अनुसूचित जनजाति के गौवर्धन भील के वारिसान के नाम जा सकंती है तो रेस्पो0 कम 14 ने रेस्पोडेंट कम 15 व 16 को बैचान की व 15 व 16 पैसे वाले व प्रभावशाली, वर्चस्व व बाहुबली होने के कारण इस विवादित भूमि को खरीद लिया और वह इस भूमि को अवैधानिक तरीके से कब्जा कर खुर्द, बुर्द कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्टस के हक मे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के हक में तथा रेस्पो0 कम 15 व 16 को जर्ये स्थगन आदेश पाबन्द किया था कि अवैधानिक कब्जा कर भूमि को किसी भी तरह खुर्द, बुर्द न करे, लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुऐ रेस्पो0 कम 15 व 16 ने भूमि का स्वरूप बदलने का प्रयास जारी रखा इस कारण अपीलान्टस की ओर से कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है, रेस्पोडेंट क्रम 15 व 16 के विरुद्ध अपीलांट के हक में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्याय हित मे आवश्यक है अन्यथा अपीलान्टस को अपूरणीय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्षति होने की संभावना है–प्रथम दृष्टिया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के हक मे होने से प्रार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03–11–2022 निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रार्थीना पत्र अपीलान्टस अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट कम 15 व 16 का जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि को किसी भी तरह से खुर्द, बुर्द नही करे, और ना ही मौके पर कब्जा कर भूमि का स्वरूप बदले।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि गोरधन भील के कब्जेकाश्त में विवादित भूमि रही थी और उनका अनपढ़ होने से राजस्व दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होने से उनका ध्यान उस पर नहीं गया। गोरधन की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान किशनलाल व हीरालाल परिवाद की उन्नति के लिये नौकरी करने के लिये बाहर रहते आने से परन्तु विवादित भूमि पर कब्जा काश्त लगातार बनाया जाकर उपज प्राप्त करते रहे। मदनलाल कहार द्वारा अवैधानिक इन्द्राजों को काफी वर्षों तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया और बाद में मदनलाल कहार ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष बउनवान मदनलाल बनाम हीरालाल से अन्तर्गत धारा 188,183 आर०टी० एक्ट के तहत एक दावा प्रस्तुत कर यह मांग की कि हीरालाल को विवादित ग्राम गुढा संवत् 2042–2045 खसरा नम्बर 27, 28, 29, 30 पर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे और प्रतिवादी हीरालाल के खिलाफ बेदखली पारित की जावै। उक्त वाद का निर्णय करते हुये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दावा साबित नहीं होने से व कब्जा काश्त हीरालाल अर्थात अपीलान्ट का होना मानते हुये दिनांक 01.04.1992 को खारिज फरमा दिया। न्यायालय ने हीरालाल जो गोरधन के छोटे पुत्र थे उनका भूमि पर कब्जा मानते हुये इन्द्राज दुरस्ती कराने का अधिकारी माना। नकल निर्णय पूर्व से पत्रावली पर मौजूद हैं।

उक्त निर्णय के विरूद्ध मदनलाल कहार ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं आरएए कोटा के समक्ष अपील, अपील संख्या 106/93 से प्रस्तुत की हैं जिसका निर्णय दिनांक 11.09.1998 को हुआ और अपील खारिज करते हुये, यह अवधारित किया कि सेटलमेन्ट विभाग से यह अपेक्षा कि जाती हैं कि जमाबन्दी में पूर्वर्ती इन्द्राजों की अभिलेख में पुनरावर्ती की जावे कि जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के खातेदारी अधिकारियों के परिर्वतन के बारे में सम्यक आदेश नहीं पारित कर दिया गया हो। उक्त अपील न्यायालय ने भू–राजस्व की धारा 140 का भी विवेचन करते हुये यह माना कि खातेदारी के इन्द्राज विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं, फलस्वरूप विवादित आराजी का मदनलाल कहार खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता हैं। वर्तमान अपीलान्ट ने विवादित भूमि ग्राम गुढा को अपने खातेदारी में दर्ज करने तथा

(दीप्ति सनचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस दरमियान प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 15 व 16 का नाम खातेदारी में दर्ज होने से तथा अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर हुई खातेदारी को तथा अन्य सभी को प्रारम्भत शून्य मानते हुये अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना की एवं दौराने वाद उक्त विवादित भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अतिक्रमण कर प्लॉट काटकर खुर्द–बुर्द नहीं करने बेजा मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द करने की प्रार्थना की। दिनांक 02.05.1964 से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभावी हुआ और यह विधान लागू हुआ कि किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा अपनी किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर विक्रय, दान वसीयत इत्यादि पर रोक लगा दी गई और यह निर्धारित किया गया कि ऐसे एक अनुसूचित जाति के अभिधारी की भूमि पर एक ऐसे व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देना आरम्भतः ही शून्य हैं. जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हैं।

संवत् 2030–2049 के मध्य राजस्व विभाग के सेटलमेन्ट की प्रक्रिया प्रभावी रही थी। जो कि वर्ष 1974 से 1994 ई0 के मध्य हुई। इस प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 02.05.1964 को धारा 42 आर०टी०एक्ट लागू हो चुकी थी। जिस कारण सेटलमेन्ट विभाग जिसके पास केवल राजस्व भूमि का बन्दोबस्त अधिकार था वह किसी भी अभिधारी के खातेदारी अधिकार को कम अथवा बड़ा या किसी के नाम पर अन्तरित नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा कानून और उनकी सीमा के परे किये गये गोरधन भील की आराजी मदनलाल कहार के नाम पर किया जाना आरम्भतः शून्य रहा हैं और उक्त शून्य आधार से निर्मित सभी अधिकार तथा राजस्व इन्द्राज भी शून्य होकर खारिज होकर कम होने योग्य हैं। यह विधिक स्थिति सभी राजस्व अधिकारियों की जानकारी में होना माना जाता हैं फिर भी उक्त विधान का दुप्रयोग कर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम पर खातेदारी में परिवर्तन करना अवैधानिक कृत्य रहा हैं। जिससे अपीलान्ट के अधिकार ना तो कम होते हैं और ना ही शून्य होते हैं। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के निस्तारण तक यह प्रार्थना की अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट 15 व 16 जिनके नाम वर्तमान में खातेदारी में दर्ज हैं को अपीलान्ट की भूमि पर प्रवेश करने से तथा विवादित भूमि को किसी भी व्यक्ति को अन्तरण ना करवाये और ना ही किसी भी रूप से गैर कृषि कार्य जिसमें प्लॉट का निर्माण कर प्लॉट के विक्रय का कोई कार्य ना करें और भूमि को खुर्द–बुर्द ना करें।

अपीलान्ट प्रार्थीगण ने अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों से यह स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि अनुसूचित जाति के सदस्य गोरधन भील की जमीन गलत रूप से मदनलाल कहार के नाम खाते दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जो उनके नाम अनुसूचित जाति की भूमि सवर्ण सदस्य के नाम पर कैसे दर्ज हुई। विवादित भूमि का कब्जा अधिकांश भाग पर अपीलान्ट का हैं कुछ भाग पर रेस्पोडेन्ट का उनके धनबल और राजनैतिक प्रशासनिक शक्तियों के दुरुप्रयोग से हो गया हैं। जिन्हें रेस्पोडेन्ट से अपीलान्ट वापिस प्राप्त करने कानूनी अधिकार रखते हैं और गलत इन्द्राज दुरस्ती से दौराने मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के विक्रय एवं अन्य हस्तान्तरण व भूमि पर प्लॉटिंग के कार्य को रोकने की पात्रता रखते हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान टीनेसी एक्ट प्रावधानों को एक तरफ रखकर मनमाना और अवैधानिक आदेश पारित करते

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हुये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया। जिसे निरस्त करवाकर रेस्पोडेन्ट 15 व 16 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया हैं। अपीलान्ट की अपील स्वीकार होने योग्य हैं। स्वीकार फरमाई जावे।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना विवादित भूमि में कब्जा होना व खातेधारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होने बाबत् समस्त प्रमाणिक दस्तावेजों से अपना प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित किया। अपीलान्ट ने सुविधा का सन्तुलन भी प्रमाणित किया। अपीलान्ट ने यह भी प्रमाणित किया कि यदि अपीलान्ट के हितों को सुरक्षित नहीं किया गया तो उसे ना काबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार धारा 212 के तीनों तत्वों को अपीलान्ट ने अपने पक्ष में सुस्थापित किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर महान कानूनी भूल की। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट 15 व 16 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि ग्राम गुढा खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 27, 28, 29, 30 को किसी भी तरह से मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक खुर्द–बुर्द ना करें और ना ही मौके पर कब्जा करें एवं भूमि का स्वरूप नहीं बदले। विवादित आराजी पर बेजा मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें और ना ही किसी से करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी नजदीकी न्यायालय हो अपीलान्ट को प्रदान की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2024 (1) डीएनजे (रेवेन्यू) निर्णय 06.12.2023, 2023 (1) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 579 निर्णय 28.02.2023 एवं 2018 (1) आरआरटी पेज 292 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हमने अन्य खातदारों से आराजी क्रय की है। वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट क्रम 15 व 16 के खाते है तथा कब्जा भी इन्हीं का है। अपीलांट का यदि कोई हक व अधिकार है तो मूल दावे मे निर्णित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी ने विवादित आराजी ग्राम गुढा, तहसील झालरापाटन के खसरा नं. 27 रकबा 01 बीघा, खसरा नं. 28 रकबा 01 बीघा 02

(दीप्ति रघुवंशी मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नं. 30 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 4 की 04 बीघा 02 बिस्वा आराजी जिसके सेटलमेंट पूर्व खसरा नं. 10/48 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 10/8 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नं. 10/57 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 3 की 06 बीघा 09 बिस्वा होना अंकित करते हुए यह कथन किया है कि सेटलमेंट पूर्व उक्त भूमि गोरधन पुत्र खुमान भील के खाते दर्ज थी। सेटलमेंट से पूर्व गोरधन की मृत्यु हो जाने से गलत तरीके से मदनलाल कहार ने अपने खाते दर्ज करवाली। मदनलाल के वारिसान अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 ने इन्द्राज के आधार पर कागजों में भूमि का हस्तांतरण कर दिया। अप्रार्थी 15 व 16 ने भूमि पर जबरन अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर प्लाट काटना प्रारंभ कर दिया तथा भूमि को प्लाट काटकर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास कर रहे है, अतः अप्रार्थी क्रम 15 व 16 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए कि वे भूमि पर अतिक्रमण कर प्लाट काटकर खुर्द–बुर्द नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 23.02.2022 को वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए दिनांक 03.11.2022 को पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.02.2022 को निरस्त कर प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेंट विभाग ने मनमाने गलत तरीके से प्रश्नगत आराजी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन सवर्ण के खाते दर्ज कर दी हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न फोटोप्रति नकल जमाबंदी संवत 2012 से 15, 2013 से 16 व 2017 से 20 ग्राम गुढा, तहसील झालरापाटन के अनुसार खसरा नं. 10/48 की 9 बिस्वा, खसरा नं. 10/8 की 04.17 बीघा, खसरा नं. 10/57 की 01.03 बीघा कुल किता 3 की 06.09 बीघा आराजी गोरधन पुत्र खुमान भील के खाते दर्ज रिकार्ड है। फोटोप्रति नकल जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2030 से 49 के अनुसार ग्राम गुढा, तहसील झालरापाटन के अनुसार खसरा नं. 27 की 1 बीघा, खसरा नं. 28 की 2.01 बीघा, खसरा नं. 29 की 16 बिस्वा, खसरा नं. 30 की 5 बिस्वा कुल किता 4 की 4.02 बीघा आराजी मदनलाल पिता मेधा जाति कहार के खाते दर्ज रेकार्ड है। फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त के अनुसार हाल खसरा नं. 27 रकबा 1 बीघा गत खसरा नं. 10 मिन रकबा 1 बीघा से, हाल खसरा नं. 28 रकबा 2.01 बीघा गत खसरा नं. 10 मिन रकबा 2.01 बीघा से, हाल खसरा नं. 29 रकबा 16 बिस्वा गत खसरा नं. 10 मिन रकबा 16 बिस्वा से एवं हाल खसरा नं. 30 रकबा 5 बिस्वा गत खसरा नं. 10 मिन रकबा 5 बिस्वा से बने है। इस मिलान क्षेत्रफल में खसरा नं. 10 मिन से अन्य खसरा नम्बर भी बने है। फोटोप्रति नकल जमाबंदी संवत 2042 से 45, 2050 से 53 ग्राम गुढा, तहसील झालरापाटन के अनुसार खसरा नं. 27, 28, 29 व 30 की 4.02 बीघा आराजी मदन वल्द मेधा कौम कहार के खाते दर्ज रिकार्ड है। फोटोप्रति नकल नामांतरण संख्या 23 के अनुसार खातेदार मदन के फौत के होने पर फौती नामान्तरण पुत्र ओमप्रकाश, बहादुर, रवि पुत्रियां कला, जगन, रतन, यशोदा, सुमित्रा, मंजू बेवा भूलीबाई के नाम स्वीकृत हुआ है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थी अपीलांट ने अपील के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां फर्द के साथ प्रस्तुत की है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रार्थी अपीलांट के पिता गोरधन वल्द खुमान भील के खाते की खसरा नं. 10/48, 10/8, 10/57 रकबा 6.09 बीघा आराजी सेटलमेंट विभाग ने मदन वल्द मेधा कौम कहार के खाते दर्ज की है क्योंकि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त के अनुसार मदन के खाते दर्ज खसरा नं. 27, 28, 29 व 30 खसरा नं. 10 मिन से बने है और इनका रकबा 04.02 बीघा है। इस मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नं. 10 मिन के अन्य खसरा नम्बर भी बने है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न फोटोप्रति नकल जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2030 से 49 की है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा बंदोबस्त से तुरंत पहले की चौसाला जमाबंदी की नकल भी पेश नहीं की है। प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है उनके आधार पर वे अपने इस कथन को साबित करने में असफल रहे है कि सेटलमेंट विभाग ने गलत तरीके से उनके पिता के खाते की आराजी मदन वल्द मेधा के खाते दर्ज की है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा